"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 693] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2025 — भाद्र 7 शक 1947

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–18/2024/26.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का सं. 49) की धारा–79 की उप–धारा (1) में उल्लेख अनुसार छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 के नियम 88 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं लाभों के संबंध में, एतद्द्वारा, स्वतंत्र राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, की नियुक्ति होने तक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग को पदेन दिव्यांगजन राज्य आयुक्त अधिसूचित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामलाल खैरवार, उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.